

न्यायालय:- व्यवहार न्यायाधीश वर्ग- 01 एवं न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय,  
चन्देरी जिला-अशोकनगर  
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 235103000712006

दांडिक प्रकरण क.-387 / 09

संस्थापित दिनांक-17.04.06

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।	
	अभियोजन
विरुद्ध	
01-तिलकसिंह पुत्र श्यामलाल प्रजापति आयु 21 वर्ष निवासी ग्राम सीगोन, चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0	
	आरोपी
राज्य द्वारा	:- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपी द्वारा	:- श्री पठान अधिवक्ता।

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 04.12.2017 को घोषित)

01- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 456,354 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02- प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपी का फरियादी से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपी को भादवि की धारा 354 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भादवि की धारा 456 के संबंध में पारित किया जा रहा है।

04— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी लक्ष्मीबाई ने दिनांक 10.02.06 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 10.02.06 को 08:30 बजे फरियादी के मकान में आरोपी रात्रि में घुस आया तथा बुरी नियत से उसको पकड़ लिया धक्का देने पर आरोपी भाग गया। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 30/06 के अंतर्गत भादवि की धारा 456,354 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

05— प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 456,354 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।

06— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :-

1. क्या आरोपी ने दिनांक 10.02.06 समय 08:30 बजे सीगोन में सूर्यास्त के पश्चात एवं सूर्योदय के पूर्व, प्रार्थिया लक्ष्मीबाई के निवास गृह में प्रवेश कर रात्रि प्रच्छन्न गृहअतिचार किया ?

#### —:: सकारण निष्कर्ष ::—

07— प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशक्त एवं अंतर्वलित है। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 का निराकरण किया जा रहा है। अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 पहाडसिंह, अ.सा.2 लक्ष्मीबाई की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

08— अभियोजन साक्षी 02 लक्ष्मीबाई ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को जानती है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को आरोपी से उसका घर के बाहर वाद विवाद हो गया था जिस पर से उसने आरोपी के विरुद्ध रिपोर्ट लेखवद्ध करा दी थी। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपी रात्रि में उसके घर में घुस आया था। अ.सा.1 पहाडसिंह पक्षद्रोही हो गया है। उक्त साक्षी द्वारा अभियोजन की कहानी का कोई समर्थन नहीं किया गया है। अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है मामले की फरियादि ने अपने कथन में यह नहीं बताया है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी रात्रि में उसके घर में घुसा था।

09— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपी को भादवि की धारा 456 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

10— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

11— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।

12— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत  
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)  
व्य० न्याया० वर्ग-०१ एवं न्यायाधिकारी  
ग्राम न्यायालय, चंदेरी

(जफर इकबाल)  
व्य० न्याया० वर्ग-०१ एवं न्यायाधिकारी  
ग्राम न्यायालय, चंदेरी